समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 139/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी **श्री रूद्र कुमार यादव पे0 स्व0 सौखी लाल यादव सा0 पीपरा करौती थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा** के लाईसेंसी दो नाली बन्दुक का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी का पुत्र श्री अम्बेदकर यादव उर्फ अम्बुज यादव द्वारा भैंसा मारने में किया गया था जिनके विरूद्ध उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0-183/13 दिनांक 15.09.13 धारा 429 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कांड दर्ज करते हुए अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। इन्होंने अनुज्ञप्तिधारी श्री रुद्र कुमार यादव के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/86 को निलंबित करने की अनुशंसा की है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री यादव उक्त शस्त्र का उपयोग स्वयं न कर उनके पुत्र के द्वारा अवैध रूप से किया जाता है। शस्त्र के रख-रखाव पर अनुज्ञप्तिधारी का नियंत्रण नहीं है। इनके पुत्र के द्वारा उक्त शस्त्र का दुरूपयोग किया गया है, जिसमें उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0-183/15.09.13 धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित हैं। अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 04.10.13 को अपने शस्त्र का कराए गए भौतिक सत्यापन के साथ समर्पित बायोडाटा में सूचना अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं थानाध्यक्ष, **उदाकिशुनगंज ने संयुक्त रूप से अभ्युक्ति कॉलम में प्रतिवेदित किया है कि अनुज्ञप्तिधारी के शरीर के दाहिने भाग में** लकवा (पैरालाईसिस) ग्रस्त है एवं पुत्र श्री अम्बेदकर यादव उर्फ अम्बुज यादव पर उपर्युक्त वर्णित कांड दर्ज होना अंकित है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्तो का पालन करने में सक्षम नहीं हैं।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b)(d) एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त-9ए का उल्लंघन के आरोप में **श्री रूद्र कुमार यादव पे0 श्री स्व0 सौखी लाल यादव सा0 पीपरा करौती थाना उदाकिशुनगंज** जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1986(उदाकिशुनगंज थाना) को **"निलंबित"** किया जाता है। शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के अन्तर्गत उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दुक संख्या- 6606 C/9 को संबंधित थाना या विहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही उपरोक्त आरोप के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10.04.2014 तक समर्पित करना सुनिश्चित करें। समयावधि अन्तर्गत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में ऐसा समझा जाऐगा कि अपने बचाव में आपको कुछ नहीं कहना है, यह मानकर रद्द करने की कार्रवाई कर दी जायेगी।

थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी से शस्त्र जमा लेने के पश्चात् वगैर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए उन्हें किसी भी परिस्थिति में शस्त्र हस्तगत नहीं करायेंगे एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित रखेंगे।

श्री रूद्र कुमार यादव पे0 स्व0 सौखी लाल यादव सा0 पीपरा करौती थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **"निलंबित"** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 169 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 4-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री रूद्र कुमार यादव पे0 स्व0 सौखी लाल यादव सा0 पीपरा करौती थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।